न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 148 / 2019

सरकार बनाम 1. दलाराम,शंकरराम, कानाराम, मोहनराम वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–. 09.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम **चोंकडियों की ढाणी** के मूल खसरा नं. 63 रकबा 628.06 बीघा सामलाती खाता दर्ज था जिसमें जेठाराम पुत्र मुकनाराम को नात हिस्से में दर्ज नहीं होने से सभी खातेदारो ने सहमतीसे जिसमें जेठाराम पुत्र मुकनाराम का नाम हिस्से में दर्ज नहीं होने से सभी खातेदारो ने सहमती मे दर्ज करवाया जिसका नामान्तरकरण संख्या 71 दर्ज हुआ है। टुकडो की तरमीम अक्ष दर्ज नहीं किया गया जिसके तहत वन टू वन गैपिंग किया जाना संभव नही हो रहा है। खातेदारो का मौके पर अलग से तरमीम करने हेतु व्यवस्थित कब्जा भी अलग नहीं है एवं खातेदारो की कब्जा सबंधी विवाद होने के कारण सहमती नहीं बन रही है। जिससे खसरा नं. 63 के टूकडों का एकीकरण करने बाबत निवेदन किया ।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई किसी अशुद्वि को शुद्व करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .09.01.2020 को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

Scanned by CamScanner